।। कार्यालय, निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर।।

16

(नेहरू नगर, आर0पी0ए0 रोड, जयपुर, फोन 0141–2301584, फैक्स 0141–2301859)
ई–मेल: director.fsl@rajasthan.gov.in

क्रमांक : व15(3)लेबो.जन / 2021 / 1927

दिनांक : 27.05.2021

1. पुलिस आयुक्त जयपुर / जोधपुर,
2. पुलिस उपायुक्त जयपुर / जोधपुर,
3 समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज / अपराध शाखा,
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक राजस्थान / जी.आर.पी.

विषयः– कोविड–19 वैश्विक महामारी के तहत एफ.एस.एल. में जमा कराने वाले प्रादर्श की सावधानी के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभिन्न जिलो से कोराना वायरस के सक्रमण से बचाव हेतु एफ.एस.एल. में विभिन्न जिलो से आने वाले विशेष वाहक व जमा किये जाने वाले प्रादर्शो के लिये निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. जहां तक सभंव हो जिला पुलिस अधीक्षक विभिन्न पुलिस थाना से एफ.एस.एल. भेजे जाने वाले प्रादर्शो को एक नियत कार्यालय दिवस में प्रादर्शो की संख्या को मध्यनजर रखते हुये कम से कम विशेष वाहक के साथ एक साथ भेजा जाना सुनिश्चित कराये।
2. किसी भी प्रकरण में कोविड–19 संक्रमित व्यक्ति की पहचान होने पर यदि अनुसंधान की दृष्टि से एफ.एस.एल. परीक्षण आवश्यक होने पर ही संबंधित प्रादर्श परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. भेजे जाये।

   वर्तमान में postmortem/MLC कोविड–19 रिपोर्ट आने के पश्चात् ही किया जाता है। अतः पत्रावली के साथ कोविड–19 की positive/negative report का उल्लेख अथवा संलग्न कर भिजवावे। अन्यथा प्रकरण का जमा किया जाना संभव नही होगा।
3. ऐसे सभी प्रकरणो के अग्रेषण पत्र में व प्रादर्श पर स्पष्ट व गहरे शब्दो (Bold Font) में कोविड–19 संक्रमण का उल्लेख करना आवश्यक होगा। प्रकरण एफ.एस.एल. में प्राप्त होने के पश्चात कोविड–19 संक्रमण की जानकारी प्राप्त होने पर इसकी सूचना आवश्यक रूप से तुरंत संबंधित एफ.एस.एल. को भिजवाई जायेगी।
4. सम्पर्क संकंमण (contact infection) से बचाव हेतू अग्रेषण पत्र लिफाफे में भिजवाये जाये। परीक्षण हेतू भिजवाये जाने वाले प्रादर्श पर लिखे हुये विवरण को पारदर्शी सेलो टेप से सुरक्षित करे, जिससे प्रादर्शो को सेनेटाइजर के छिडकाव से जानकारी नष्ट न होने पाये।
5. कोरोना संक्रमित प्रकरणों के विसरा व अन्य जैविक प्रादर्शो को हास्पिटल से दोहरे पॉली बैग में सकंलित कराये तथा बाहरी आवरण को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट से किटाणु रहित कराना सुनिश्चित करायें

6. कोरोना संक्रमित प्रकरणों के प्रादर्श व एफ.एस.एल. आने वाले विशेष वाहक हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना कराना सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
7. ऐसे प्रकरणों के प्रादर्श को एफ.एस.एल. लाने वाले विशेष वाहक को कोविड–19 रिस्क सबंधी जानकारी दी जाये ताकि संक्रमण से बचाव की सावधानी का पालन हो सके। एफ.एस.एल. भेजे जाने वाले विशेष वाहक को स्वास्थ्य जांच व प्रादर्शो को सेनेटाइज करने के पश्चात ही रवाना किया जाये तथा इस आशय का प्रमाण पत्र अग्रेषण पत्र में संलग्न किया जाये। यथासंभव ऐसे प्रादर्शो को पब्लिक वाहन से नही भेजा जाकर राजकीय वाहन से विशेष वाहक को पी.पी.ई. किट इत्यादि सावधानियों के साथ भेजा जाना सुनिश्चित करेगें।
8. कोविड–19 संक्रमण वाले प्रकरणो में घटनास्थल निरीक्षण अति आवश्यक हो तभी एफ. एस.एल. टीम बुलाई जाये तथा इस संबंध में स्पष्ट सूचना टीम को दी जाये, जिससे आवश्यक सुरक्षा मानको की पालना एफ.एस.एल. टीम द्वारा की जा सके।

भवदीय,

(डॉ0 अजय शर्मा)
निदेशक
राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–
1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध शाखा), राजस्थान, जयपुर।
2. सयुक्त शासन सचिव (गृह विभाग), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त निदेशक / उपनिदेशक / प्रभारी अधिकारी, आर.एफ.एस.एल. / एफ.एस.एल., जयपुर।
4. डी.ओ. (केस यूनिट), एफ.एस.एल., जयपुर।

निदेशक